ई0पत्रावली सं0–23600
संख्या /उन्तीस(2)/2025–2(43पे0)/2012

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2025

विषयः– उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन, ग्रेज्युटी एवं सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–483/वित्त अनुभाग/ए0सी0–1/19 दिनांक 08.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन, ग्रेज्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 8.333 करोड़ (₹ आठ करोड़ तैतीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जाएगी।

(ii) आहरण से सम्बन्धित बिल बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर पेन्शन दायित्वों हेतु ही किया जाए।

(iv) दिनांक 29.08.2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं निगम के साथ हुए एम0ओ0यू0 की शर्तोनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जाए।

(v) दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक (कार्यवृत्त संख्या–259080, दिनांक 09.12.2024) में दिए गये निर्देशानुसार निगम स्तर से अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जायेगी तथा जिन बिन्दुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनका प्रस्ताव भी तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) द्वितीय किश्त का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पेयजल निगम को पेंशन, ग्रेज्युटी एवं सेवानिवृत्तिक देनदारियों के भुगतान के सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2012 को सम्पन्न हुई बैठक

के कार्यवृत्त दिनांक 03.10.2012 एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का पुनः प्रस्तुतिकरण प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष करते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति से अवगत करायेगे।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक ''2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता–03–जल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे'' डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/327838/2025 दिनांक 03.09.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 05-09-2025
00:16:00

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0 (1)/उन्तीस(2)/2025–2(43पे0)/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 08-09-2025
10:30:48

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।